UPEW010023912022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी(पी0 ए 0)एक्ट, इटावा।

परिवाद संख्या–703/2022

मीनादेवी कठेरिया बनाम शिवराज प्रजापति आदि ।

दिनांक 28.03.2025

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व तिथि पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर सुना जा चुका है। मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का परिशीलन किया।

मामले के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिनी मीनादेवी कठेरिया पत्नी अतर सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के आधार पर थाना ऊसराहार जिला इटावा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 09/2020, धारा 323, 376 डी, 504, 506 भा.द.सं. एवं धारा 3(2)5 एससी.एसटी अधिनियम में पंजीकृत की गयी। जिसमें यह कथन किया गया थ कि दिनांक 20.08.2019 को समय करीब चार बजे शाम वह अपने खेतों पर थी तभी शिवराज प्रजापति एवं रमेशचन्द्र उर्फ पप्पू उसके पास आये और रमेशचन्द्र उर्फ पप्पू ने उसके ऊपर तमंचा तान दिया और कहा कि अगर चिल्लायी तो जान से मार देगें और उसका मुंह दबा दिया तथा उपरोक्त दोनों लोगों ने उसकी साड़ी खींचकर उतार दी तथा ब्लाउज फाड़ दिया तथा उसको नंगा कर उसके साथ जबरन बारी–बारी से बलात्कार किया। प्रार्थिनी रोती चिल्लाती रही और उपरोक्त दोनों लोगों से छोड़ने की गुहार करती रही परन्तु उपरोक्त दोनों लोगों को उस पर दया नहीं आयी तथा दोनों लोग उसके साथ जबरन बलात्कार करके प्रार्थिनी को धमकी देकर चले गये कि अगर किसी ने कुछ कहा तो तुझे जान से मार देगें। वह किसी तरह रोती चिल्लाती अपने घर पहुँची और अपने पति अतर सिंह को सारी बात बतायी। इस पर प्रार्थिनी का पति शिवराज सिंह व संतोष कुमार उपरोक्त लोगों के घर गये तो उपरोक्त दोनों दोनों ने प्रार्थिनी के पति को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दींतथा थप्पड़, घूसों से मारपीट की तथा कोई कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी । प्रार्थिनी द्वारा अपना डाक्टरी मुआयना जिला अस्पताल में कराया जाना तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया जाना कहा है।

विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध घटना कारित करने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्राप्त न होना पाते हुए अंतिम आख्या प्रेषित कर दी गयी।

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2025.03.28 17:58:42 EAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जिससे व्यथित होकर परिवादिनी द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन संस्थित किया गया। प्रोटेस्ट पिटीशन को न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2022 में परिवाद के रूप में दर्ज किया गया।

परिवादिनी ने स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सी.डब्लू.1 संतोष कुमार, सी.डब्लू.2 अतर सिंह एवं सी.डब्लू.3 डाक्टर मंगल सिंह को परीक्षित कराया गया है।

परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 20.08.2019 को समय 4 बजे शाम को रमेश व शिवराम ने उसके साथ बलात्कार जबरदस्ती किया। दोनों लोगों ने उसके गले पर कट्टा लगाकर बारी–बारी से उसके साथ बलात्कार किया। विपक्षीगणों ने उसे व उसके परिवार को डंडे से मारा था। घटना को शिवराज, अतर सिंह एवं संतोष ने देखा था।

प्रार्थनापत्र 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार परिवादिनी रोती चिल्लाती अपने घर पहुँची और अपने पति अतर सिंह को सारी बात बतायी। जिस पर प्रार्थिनी का पति शिवराज सिंह व संतोष कुमार रमेशचन्द्र उर्फ पप्पू के घर गये थे तो शिवराम प्रजापति व रमेशचन्द्र उर्फ पप्पू द्वारा उन्हें भी मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दीं तथा थप्पड़, घूसों से मारपीट की।

सी.डब्लू.2 अतर सिंह, जो परिवादिनी का पति है, ने धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह व संतोष कुमार, फूल सिंह उपरोक्त लोगों के घर गये तो उपरोक्त लोगों ने मां बहिन की भद्दी –भद्दी गालियां दी और लात घूसों, थप्पड़ों से मारपीट की और कहा कि अगर कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे।

सी.डब्लू.1 के रूप में संतोषकुमार को परीक्षित कराया गया है । इस साक्षी द्वारा भी परिवादिनी के कथनों का समर्थन करते हुए कहा है कि घटना दिनांक 20.08.2019 को समय करीब सायं 4 बजे की है। मीनादेवी अपने खेतों पर थी तभी शिवराम प्रजापति एवं रमेशचन्द्र उर्फ पप्पू आये और मीनादेवी के ऊपर तमंचा तान दिया और उसका मुंह दबा लिया तथा उपरोक्त दोनों लोगो ने मीनादेवी की साड़ी खींच कर उतार दिया तथा ब्लाउज फाड़ दिया तथा नंगा कर दिया। मीनादेवी के साथ जबरन बारी–बारी से बलात्कार किया। उपरोक्त दोनों लोग मीनादेवी से जबरन बलात्कार करके धमकी देकर चले गये।

सी.डब्लू.3 के रूप में डाक्टर मंगल सिंह को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा पीड़िता मीनादेवी के शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना किया गया है। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान मीनादेवी के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायीं गयीं–

1. दांयी भुजा के पिछले हिस्सा में 1.3x0.5 सेमी का खरोंच का निशान था जिस पर

भूरा लाल रंग की पपड़ी मौजूद थी।

2. बांयी भुजा (फोर आर्म) के पिछले हिस्से में 3.5x1–5 सेमी का नीलगू निशान था जो कि गहरे भूरे लाल रंग का था।

3. पीठ के दाहिने हिस्से में दाहिनी स्केपुला के ऊपर 3.1से.मीx2 सेमी का नीलगू निशान जो गहरा भूरा लाल रंग का मौजूद था।

4. बांयी स्कैपुला के मध्य भाग में 1.3x.5 सेमी का खरोंच का निशान था जिस पर भूरे लाल रंग की पपड़ी थी।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि तलबी के स्तर पर न्यायालय को परिवादपत्र के कथनों को सही मानकर अग्रेतर कार्यवाही की जानी चाहिए। न्यायालय को तलबी के स्तर पर मात्र इतना दृष्टिगत रखना चाहिए कि परिवाद में किये गये अभिकथनों एवं साक्षीगण द्वारा दिये गये बयानों से अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है अथवा नहीं। यदि परिवादपत्र के अभिकथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत न्यायालय यह पाता है कि अभियुक्गण के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो परिवाद निरस्त कर दिया जाना चाहिए परन्तु यदि मजिस्ट्रेट यह पाता है कि परिवाद में किये गये अभिकथनों से अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो मजिस्ट्रेट को अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला आगे बढ़ाना चाहिए। तलबी के स्तर पर मजिस्ट्रेट को मामले के गुण–दोष की जांच नहीं की जानी चाहिए ।

गंभीर सिंह आर.डेकारे बनाम फागुनभाई चिमनभाई पटेल ए.आई.आर 0. 2013 एससी 1590 में यह अवधारित किया गया है कि–

At the stage of taking cognizance of offences in a complaint case it is impermissible to go into the truthfulness or otherwise of the allegations made in the complaint and one has to proceed on a footing that the allegations made are true.

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादिनी व विपक्षीगण एक ही गांव के निवासी है। इसलिए यह अवधारणा की जायेगी कि विपक्षीगण को परिवदिनी की जाति का ज्ञान है।

परिवादपत्र में किये गये अभिकथन, परिवादी एवं परीक्षित कराये गये साक्षीगण के बयानों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अभियुक्तगण शिवराज प्रजापति एवं रमेशचन्द्र उर्फ पप्पू के द्वारा प्रथम दृष्टया परिवादिनी मीनादेवी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसके साथ बलात्कार करना, मारपीट व गाली गलौज करना तथा धमकी देना परिलक्षित होता

है। तदनुसार अभियुक्तगण धारा 376 डी, 323, 504, 506, भा.द.सं. व धारा 3(2)5 एससी.एसटी.(पी.ए.)एक्ट के अन्तर्गत तलब किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण शिवराज प्रजापति एवं रमेशचन्द्र उर्फ पप्पू को धारा 376 डी, 323, 504, 506, भा.द.सं. व धारा 3(2)5 एससी.एसटी.(पी.ए.)एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु दिनांक 06.05.2025 के लिए समन द्वारा तलब किया जाये।

अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–204(2)दण्ड प्रक्रिया संहिता के दृष्टिगत तब तक कोई समन जारी नहीं किया जायेगा जब तक अभियोजन द्वारा साक्षियों की सूची पत्रावली पर दाखिल नहीं कर दी जाती ।

परिवादिनी धारा–204 दं0 प्र 0 संहिता के अनुसार यथेष्ठ पैरवी अन्दर 10 दिन करे।

(संजय कुमार–IV)

यू0 पी0 6462

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी0 ए 0)एक्ट,,इटावा।

28.03.2025